

पत्रसं.797-ई/पालिसी/2018/Quater

अपर महाप्रबंधक/उ.म.रे./इलाहाबाद।

समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप म. प्र., उप म. प्र./सा.मु.प्रशा.अधि./नि. मंडलरेलप्रबंधक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, झांसी, आगरा।

मुख्य कारखानाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगनरिपेयर शॉप, झांसी।

मुख्य कारखानाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेलस्प्रिंगकारखाना, सिथौली (ग्वालियर)। च चेयरमैन, आरआरसी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।

उप मु. सा. प्र./झांसी, उप मुख्य इंजी./सीपीओएच/इला., अधि.इंजी./सीएसपी/इला.।

प्रिन्सिपल-सुपरवाइजरसट्रेनिंगसेंटर, झांसी, बेसिकट्रेनिंगसेंटर, लोको, झांसी,

बेसिकट्रेनिंगसेंटर, सी एण्ड डब्ल्यू, झांसी, बेसिकट्रेनिंगसेंटर, वैगनवर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड

डब्ल्यू, ट्रेनिंगसेंटर, कानपुर, परमानेन्टवेट्रेनिंगसेंटरझांसी, ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रेनिंग सेंटर

सूबेदारगंज, इला., इलैक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर कानपुर, मु.प्रा.अधि., आईआरपीएमयू/नईदिल्ली।

उप मु.इंजी./ब्रिज/लाईन/इला., झांसी, आगरा, उप मु.इंजी./टीएमसी/लाईन/झांसी।

व.स.वि.स./कैश एवंपे/उमरे, इला.।

Sub:-Revision of rated of damage for unauthorized occupation of Railway accommodation.

रेलवेबोर्ड के पत्र सं. F(X)I-99/11/1 दिनांक 16.07.2018 की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- यथोक्त।

(वी.पी. सिंह)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्या.  
कृते महाप्रबंधक कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/स्था., उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयरइन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक- एस.सी., एस.टी. उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एनसीआरई एस, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
6. महामंत्री, एनसीआर एम यू, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
7. महामंत्री, एनसीआरपीओ ए, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।

4  
06/02/19

RBL-2018-1354

18.07.2018

40

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

No. F(X)I-99/11/1

New Delhi, dated 16.07.2018

The General Managers  
All Indian Railways including Production Units,  
(As per Standard Lists No.s I, II, III)

Sub.: Revision of rates of damage for unauthorized occupation of Railway accommodation.

Ref.: Board's letter of even no. dated 10.05.2018.

\*\*\*

In continuation of Board's letter of even no. dated 10.05.2018, the Board has reviewed the issue and it has further been decided that the revision of rates of damage for unauthorized occupation of Railway accommodation at telescopic penal charges on the lines of GPRR will be applicable from **01.08.2018** and this will be applicable uniformly to all houses including those under Railway Board pool.

महाप्रबन्धक कार्यालय  
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद  
RBL-18 .III 2018  
महाप्रबन्धक सचिव

(Rohit Parmar)  
Director, Finance (Exp.)  
Railway Board

No. F(X)I-99/11/1

New Delhi, dated 16.05.2018

- Copy to: 1. PFAs, All Indian Railways including Production Units.  
2. Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

(Rohit Parmar)  
Director, Finance (Exp.)  
Railway Board

प्र० मुकाधिम	
मुकाधिम (प्रश्न)	
मुकाधिम (आई० आर०)	
उप मुकाधिम (राज०)	
उप मुकाधिम (मुख्या०)	
उप मुकाधिम (आई० आर०)	
अध्यक्ष/सोम० प्र०	
प्र० का० अधिम (राज०)	
प्र० का० अधिम (अ० आर०)	
प्र० का० अधिम (मुख्या०)	
सकाधिम (आई० आर०)	
सकाधिम (प्रश्न०)	
मु० कार्या० अधिम (राज०)	

Copy to: G(Acc.), E(G) (with 10 spares), L&A Branches and DG/RPF, Railway Board.

R  
11/10/18